

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसर्वेल फोन न.0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ(143)FCA/उवसं/2025/1789

दिनांक: 06/02/2025

निमित्त:- Sanjay Purohit S/O Shri Nemraj Purohit,
Mertas House, Opposite Police Chowki,
Jalori Gate, Jodhpur (Rajasthan) PIN-340 001

विषय:- Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL765/400/220 KV GSS atr near Village Badi Sird, Tehsil- Baap, District- Jodhpur (Rajasthan) Proposal No FP/RJ/TRANS/153699/2022, Area : 0.175 Hectare

संदर्भ:- सहायक महानिरीक्षक, वन, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इनवोरयमेन्ट, फोरेस्ट एंड क्लाइमेंट चेंज, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली पत्र क्रमांक 8बी/राज012/2023-जेपीआर दिनांक 14.10.2024, इस कार्यालय पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक एफ(143)FCA/उवसं/2024/15903-07 दिनांक 02.12.2024, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर पत्र क्रमांक एफ 14(ट्रांस/153699) 2022/एफसीए /प्रमुवसं/2885-86 दिनांक 17.10.2024 एवं उच्च कार्यालय द्वारा प्रेषित आक्षेपों की पालना में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक महानिरीक्षक, वन, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इनवोरयमेन्ट, फोरेस्ट एंड क्लाइमेंट चेंज, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली पत्र क्रमांक 8बी/राज012/2023-जेपीआर दिनांक 14.10.2024 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की संशोधित राशि को ई-चालान के माध्यम से जमा करवाकर, शेष शर्तों की भी पालना/वचनबद्धता रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:-

बिन्दु संख्या 13-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक संशोधित धन राशि 0.175 रुपये = 3,74,345/- (अक्षरे तीन लाख चोहत्तर हजार तीन सौ पैतालीस रुपये मात्र) राजस्थान कैम्पा मद में ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करावे।

बिन्दु संख्या 5:-प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक संशोधित धन राशि रुपये 2,01,309/- (अक्षरे दो लाख एक हजार तीन सौ नौ रुपये मात्र) राजस्थान कैम्पा मद में ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करावे।

बिन्दु संख्या 7- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02. 20009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 6,70,140 गुणा 0.175 हैक्टर रुपये = 1,17,275/- (अक्षरे एक लाख सतरा हजार दो सौ पचहत्तर रुपये मात्र) रुपये ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

कृपु0उ0

बिन्दु संख्या 28:- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 0.1750 हैक्टेयर के लिए प्रेषित किया गया है एवं सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्रफल ही उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.12.2023 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने पर उल्लंघित दिनांक से उल्लंघित क्षेत्र की एन.पी.वी. राशि का तीन गुणा जमा कराने एवं अगर उच्च कार्यालय द्वारा राशि बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई राशि जमा कराने की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता 3-3 प्रति में मय हस्ताक्षर एवं मोहर प्रस्तुत करावे। अधिरोपित शास्ति का विवरण निम्नलिखित है:-

उल्लंघन अवधि- 2 वर्ष 8 महीना

उल्लंघन क्षेत्रफल- 0.175 हैक्टेयर

एन.पी.वी. धनराशि- 6,70,140 /-

प्रस्तावित शास्ति- 3,51,825 Rs NPV (3 times of NPV) Total amount is **3,51,825 Rs** (Three Lacs Fifty One thousand Eight hundred and Twenty Five Rupees only)

अतः कुल शास्ति धन राशि रुपये 3,51,825/- (अक्षरे तीन लाख ईक्यावन हजार आठ सौ पचीस रुपये मात्र) ई-चालान के माध्यम से राजस्थान कैम्पा मद में जमा करावे।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 28 की बिन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाइन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ मय मोहर एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध करावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

इस कार्यालय पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक एफ(143)FCA/उवसं/2024/16550-54 दिनांक 27.12.2024 को निरस्त माना जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अमित चौहान)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

कृ०पृ०उ०

क्रमांक: सम/ 1790-93

दिनांक: 06/02/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
3. सहायक वन संरक्षक फलोदी
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप को लेख है कि सहायक महानिरीक्षक, वन, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इनवोरयमेन्ट, फोरेस्ट एंड क्लाइमेंट चेंज, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली पत्र क्रमांक 8बी/राज012/2023-जेपीआर दिनांक 14.10.2024 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 और 2 की पालना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे।

उप वन संरक्षक
जोधपुर